भाग 1

क

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, किशनगढ़, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी	:	जितेन्द्र रैया, आर.जे.एस.
निर्णय दिनांक	:	11.03.2026
सी.आई. एस संख्या	:	729/2017
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	:	271/2017
अभियोग संख्या	:	274/2016
पुलिस थाना	:	मदनगंज, जिला अजमेर

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुत द्वारा	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	1. नीरज यादव पुत्र श्री भंवर लाल, निवासी– गगवाना, थाना– गेगल, जिला– अजमेर
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री मोहम्मद युनुस

ख

घटना की दिनांक	30.09.2016
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02.10.2016
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	04.03.2017
आरोप सारांश सुनाये जाने की दिनांक	04.03.2017
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	07.06.2017
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	07.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	11.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	– – निल – –

Authenticated document

ग

अभियुक्त की सूचना

क्रम	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/ दोषसिद्ध	अधिरोपित सजा	धारा 428 दंप्रसं में समायोजन समयावधि
1	नीरज यादव	– निल–	– निल –	279, 304ए भा.दं.सं. व 134/187 एम.वी. एक्ट	– दोषमुक्त–	– निल –	– निल –

भाग 2

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय साक्षी सूची

कः अभियोजन साक्षी

क्रम	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू– 1	विनोद कुमार	साक्षी– नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल
पी.डब्ल्यू– 2	किशोर सिंह	साक्षी– नक्शा मौका घटनास्थल, फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल, फर्द जब्ती बोलेरों कार,
पी.डब्ल्यू– 3	गजेन्द्र	परिवादी
पी.डब्ल्यू– 4	घनश्याम	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू– 5	अशोक यादव	साक्षी– फर्द जब्ती बोलेरो कार, नोटिस
पी.डब्ल्यू– 6	राजेन्द्र सिंह	मुख्य गवाह/चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू– 7	मोहम्मद फिरोज	मुख्य गवाह/चक्षुदर्शी साक्षी
पी.डब्ल्यू– 8	योगेन्द्र सिंह	फर्द जब्ती बोलेरों कार

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची
खः अभियोजन दस्तावेज सूची

क्रम	प्रदर्श	विवरण	संबंधित साक्षी
1	प्रदर्श पी– 1	फर्द निरीक्षण नक्शा मौका घटनास्थल	पी.डब्ल्यू– 1, 2, 3, 4
2	प्रदर्श पी– 2	फर्द निरीक्षण एवं सुपुर्दगी दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल	पी.डब्ल्यू– 1, 2, 3, 4
3	प्रदर्श पी– 3	पुलिस बयान विनोद कुमार दिनांकित 20.11.2017	पी.डब्ल्यू– 4, 1
4	प्रदर्श पी– 3	फर्द जब्ती दुर्घटनाकारित बोलेरो कार दिनांकित 20.11.2017	पी.डब्ल्यू– 2, 5, 8
5	प्रदर्श पी– 4	तहरीरी रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू– 3, 4
6	प्रदर्श पी– 5	फर्द पंचनामा	पी.डब्ल्यू– 3, 4
7	प्रदर्श पी– 6	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक	पी.डब्ल्यू– 3, 4
8	प्रदर्श पी– 7	पुलिस बयान गजेन्द्र	पी.डब्ल्यू–
9	प्रदर्श पी– 8	नकल रपट रोजनामचा	पी.डब्ल्यू– 4
10	प्रदर्श पी– 9	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू– 4
11	प्रदर्श पी– 10	नोटिस 133 एम.वी. एक्ट	पी.डब्ल्यू– 4, 5
12	प्रदर्श पी– 11	नोटिस 134 एम.वी. एक्ट	पी.डब्ल्यू– 4

मुद्दमल की सूची

क्रम संख्या	प्रदर्श	विवरण	संबंधित साक्षी
1	– – निल – –	– – निल – –	– – निल – –

– – निर्णय – –

दिनांकः– 11.03.2026

1. हस्तगत प्रकरण दिनांक 04.03.2017 को न्यायालय हाजा में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र पेश होने पर प्रसंज्ञान लिया जाकर नियमित फौजदारी में दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.10.2016 को परिवादी गजेन्द्र सिंह ने चीरघर अजमेर पर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय से पेश की, कि उसका भाई

शक्ति सिंह दिनांक 30.09.2016 को रात्रि करीबन 09.00–9:30 पी.एम. पर खुद की मोटरसाईकिल संख्या– आर.जे 42 एस.सी.2306 से गगवाना से किशनगढ़ आ रहा था जब वह परासिया से आगे अजमेर की तरफ किशनगढ़ प्राईड कालोनी के पास पहुंचा तो, वहीं सामने से किशनगढ़ की तरफ से आ रही गाडी बोलेरो, रंग सफेद, जिसका नंबर आर.जे. 01 यू बी. 6592 के चालक ने गाडी को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चला कर उसके भाई के मोटरसाईकिल सहित के टक्कर मार दी, जिससे उसके भाई के शरीर पर काफी गम्भीर चोटे आई, जिसे राहगिरों ने 108 एम्बुलेंस से इलाज हेतु यज्ञ नारायण अस्पताल पहुंचाया। जहा से ईलाज हेतु उसे जे.एल.एन.एच. अजमेर रेफर कर दिया, वहां पर ईलाज के दौरान दिनांक 01.10.2016 की रात्रि को उसकी मृत्यु हो गई उक्त दुर्घटना योगेश सिंह व विनोद ने देखी है, वे दोनों अस्पताल उससे मिलने आये, तब उन्होंने उसे बताया था, कि गाडी नंबर उन्होंने कागज पर लिख कर रखे थे, उसके भाई के ईलाज में व्यस्त होने से वह रिपोर्ट अब पेश कर रहा है। आदि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 274/16 धारा 279, 304–ए, भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3. बाद अनुसंधान अभियुक्त नीरज यादव के विरूद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 मोटरयान अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत हुआ तथा न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त के न्यायालय में उसी दिवस को उपस्थित आने पर उसे धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 मोटरयान अधिनियम के अपराध का आरोप मौखिक रूप से समस्त विशिष्टियों सहित सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन–समझकर अभियुक्त ने उक्त अपराध अस्वीकार किया एवं अन्वीक्षा चाही।

5. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त भाग 2 के अनुसार मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ध्यान देने योग्य है कि हस्तगत पत्रावली पर प्रदर्शित कराते समय रहे सहवन को न्यायिक विवेकानुसार पढा गया।

Authenticated document

6. तत्पश्चात अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया तो उन्होंने अपने विरुद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताया और कथन किया कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

7. उभय पक्षों को बहस अन्तिम के स्तर पर सुना गया। एक ओर अभियोजन पक्ष ने दौराने बहस तर्क दिया है कि पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित है, अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया जाए। अपने तर्कों के समर्थन में अभियोजन अधिकारी की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये, जिनका ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः–

1. सैयद अहमद बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक, 2012 (3) क्राइम 202 एससी
2. भारभाड़ा भोगिन भाई हिरजी भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात एआईआर 1983 एससी 753

8. वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता अभियुक्त का दौरान बहस यह तर्क रहा है कि प्रकरण के मुख्य साक्षी पक्षद्रोही घोषित हुए है तथा अभियोजन पक्ष की कहानी में गंभीर विरोधाभास है, जिसकी ताईद अभियोजन के साक्षी नहीं करते है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त घोषित किया जाए। अपने तर्कों के समर्थन में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये, जिनका ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः–

1. राजस्थान राज्य बनाम कैलाश चन्द, 2012(2) सीआर.एल.आर. (राज.) 694
2. राजस्थान राज्य बनाम लीलू खान, 2016(3) सीआर.एल.आर. (राज.) 1226
3. भीखा राम बनाम राजस्थान राज्य, 2016(3) सीआर.एल.आर. (राज.) 1112
4. भाग चन्द बनाम राजस्थान राज्य, 2013(4) सीआर.एल.आर. (राज.) 2032

9. पत्रावली के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि :–

   1. **''क्या अभियुक्त ने दिनांक 30.09.2016 को समय रात्रि के करीब 09.00–09.30 बजे के आसपास स्थान– गगवाना से किशनगढ की तरफ, परासिया से**

आगे, अजमेर की तरफ किशनगढ प्राईड कॉलोनी के पास किशनगढ की तरफ से वाहन सफेद रंग की बोलेरों, जिसकी संख्या– आर.जे. 01 यू.बी. 6592 को तेजगति, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न किया, परिवादी के भाई शक्ति सिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की व घायल को चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने हेतु समुचित कदम नहीं उठाए? ''

2. **यदि हां, तो उपर्युक्त का उचित दण्ड क्या होगा?**

10. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के प्रमाणीकरण के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 1 विनोद कुमार पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं स्वयं की मुख्य परीक्षण एवं अभियोजन के द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर इस स्तर तक तो अभियोजन कहानी का समर्थन करता है कि वह दिनांक 30.09.2016 को शाम के करीब 09.30 बजे अपने दोस्त के साथ अपनी मोटरसाईकिल से आ रहा था और उसके आगे–आगे शक्ति सिंह अपनी मोटरसाईकिल पर चल रहा था, जिसे किशनगढ़ प्राइड के सामने की फाटक से पहले अजमेर से किशनगढ़ आने वाली साइड पर एक सफेद कलर की बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर एम्बुलेंस आयी, जिससे शक्ति सिंह को अस्पताल ले गये। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी– 1 पुलिस ने घटना के दो–तीन दिन बाद थाने पर बनाया था। प्रदर्श पी– 2 फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल पर उसने साइन जिस जगह दुर्घटना हुई, उस जगह घटना के 2–3 दिन बाद किये थे। उसके साथ प्रदर्श पी– 1 एवं प्रदर्श पी– 2 पर गजेन्द्र सिंह व एक अन्य व्यक्ति ने भी साइन किये थे। प्रदर्श पी– 1 व प्रदर्श पी– 2 पर उसने साइन घटना के करीब 6 दिन बाद घटनास्थल पर पुलिस द्वारा मौका मुआयना की कार्यवाही एवं मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में लिखापढ़ी बाबत किये थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी– 3 का ए से बी, सी से डी, ई से एफ भाग गवाह को सुनाये जाने पर उसने सही होना बताया है। मौके पर भीड़ इकट्ठी हो गयी थी, जो उसे अस्पताल ले गये थे। वह दूसरे दिन शक्ति सिंह से मिलने अस्पताल गया था। हालांकि गवाह ने स्पष्ट कथन किया है कि दुर्घटना उसके सामने नहीं हुई थी, पुलिस बयान प्रदर्श पी– 3 पर ई से एफ भाग में उसके द्वारा आहत को अस्पताल ले जाने वाली बात को गलत बताते हुए कहता है कि वहां इकट्ठा

हुई भीड से लोग अस्पताल लेकर गये थे, जी से एच भाग जिसमें कि उसके व योगेश के द्वारा बोलेरों के नंबर गजेन्द्र सिंह को बताने की बात है, उसे गलत बताता है।

11. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कथन करता है थाने पर बयान हुए थे फिर कहता है कि पूछताछ की थी और प्रदर्श पी– 1 पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे, फिर कहता है कि बनाने के बाद में कराये थे लेकिन उसे नहीं पता कि क्या हुआ था, उसे तो दूसरों ने बताया था कि एक्सीडेंट हुआ था। इसे सही बताया कि उसने गाडी व ड्राईवर को नहीं देखा।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 8 योगेन्द्र सिंह पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं स्वयं की मुख्य परीक्षण एवं अभियोजन के द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर इस स्तर तक तो अभियोजन कहानी का समर्थन करता है कि वर्ष 2016 में रात के करीब 09.00 बजे जब वह और विनोद मोटरसाईकिल से किशनगढ़ आ रहे थे और शक्ति सिंह उनके आगे–आगे चल रहा था, तब किशनगढ़ की तरफ से एक बोलेरो नंबर आर.जे. 01 यू.ए. 6592 का चालक तेज गति से, लापरवाही से चलाते हुए आया और शक्ति सिंह की मोटरसाईकिल के टक्कर मारकर भाग गया। उन्होंने शक्ति सिंह को संभाला और 108 एम्बुलेंस से इलाज हेतु किशनगढ़ भिजवाया, जिसके अगले दिन उसे पता चला कि शक्तिसिंह को अजमेर रैफर कर दिया है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी– 3 पर उसके हस्ताक्षर है। एक्सीडेन्ट उसके सामने हुआ था तथा बोलेरो चालक की गलती थी। शक्तिसिंह अपनी सही साईड में मोटरसाईकिल चला रहा था, बोलेरो चालक ने रॉंग साईड से आकर टक्कर मारी। हालांकि गवाह कहता है कि उसने गाडी के नंबर किसी को नहीं बताये तथा फर्द जब्ती पर हस्ताक्षर किस बाबत् किये थे, यह भी नहीं पता। इसी प्रकार स्पष्ट कहता है कि पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। शक्ति सिंह अपनी सही दिशा में मोटरसाईकिल चला रहा था तथा बोलेरों चालक ने गलत दिशा में आकर टक्कर मारी। पुलिस ने दिनांक 25.10.2016 को दुर्घटना कारित करने वाली बोलेरों को जब्त नहीं किया था बल्कि उसने तो खाली कागजों पर हस्ताक्षर किये थे तथा बोलेरों चाकर को उसने शक्ल ने नहीं देखा था।

13. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की प्रति–परीक्षण में गवाह कथन करता है कि वह दसवीं तक पढा हुआ है। पुलिस ने मात्र पूछताछ की थी, बयान नहीं हुए थे। इसे सही बताया कि

Authenticated document

वह काफी दूर था इसलिए नहीं बता सकता है कि किसकी गलती से दुर्घटना कारित हुई, न ही उसने ड्राइवर को देखा, न ही उससे पुलिस ने शिनाख्त करायी। रात्रि का समय होने से उसे ध्यान नहीं है कि आस–पास कौन चल रहा था। अशोक व फिरोज को नहीं जानता है तथा इस नाम के कोई व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं थे। शक्ति सिहं को वह अस्पताल लेकर नहीं गया। नीरज यादव को भी वह नहीं जानता है। वह नहीं बता सकता है कि कौनसा वाहन तेज गति से चल रहा था, किस वाहन की गलती से दुर्घटना हुई क्योंकि उसने नहीं देखा। वह तो जब पहुंचा तब दुर्घटना हो चुकी थी, जो स्थान हाईवे है तथा उसने जो नंबर बताये वह चलती हुई गाडी के देखकर बताये थे तथा उस समय अन्य भी गाडिया चल रही थी, उसने जिन कागजों पर हस्ताक्षर किये, उन्हीं कागजों पर आशोक व अन्य किसी एक व्यक्ति के हस्ताक्षर हो रखे थे।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 6 राजेन्द्र सिंह न्यायालय के उपस्थित होकर अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि दिनांक 23.09.2016 को राते के करीब 09.30 बजे गेगल के बाद की किशनगढ़ की तरफ आने वाली पुलिया के पास जब वह और फिरोज गेगल से अपनी हीरो होण्डा बाइक पर आ रह थे, तो उनसे आगे एक बाइक वाला चल रहा था, जिसकी मोटरसाईकिल नम्बर आर.जे. 42 एस.सी. 2306 को किशनगढ़ की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की बोलेरो नम्बर आर.जे. 01 यू.ए. 6592 ने रॉंग साइड से लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी जिसके बाद बोलेरो चालक नीरज यादव 2 मिनट तक वहां रुका जहां उनके अलावा दो–चार और आदमी इकट्ठा हो गए, जिनमें से कुछ लोग उसे शक्ति सिंह नाम से पुकार रहे थे। फिर वो वहां से चला गया। उस समय मोटरसाईकिल चालक घायल हो गया था जिसके सिर पैर में चोटें आई थी तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गई। भीड़ में से किसी ने मौके पर एम्बुलेंस को बुलाया जहां से उसे वाइ.एन. अस्पताल किशनगढ़ ले गए। उक्त एक्सीडेंट बोलेरो चालक की गलती से हुआ था जो उन पर भी आ रहा था लेकिन वो साइड में होने से बच गए।

15. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी कथन करता है कि वह नौंवी तक पढा–लिखा है तथा दिन, साल व महीने में समझाता है। पुलिस ने उससे 5–6 कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे परंतु क्या लिखा पढी हो रखी थी, उसे नहीं पता

लेकिन हस्ताक्षर करते समय लिखा पढी तो हो रखी थी, उसके बयान घटना के एक माह बाद हुए थे। उसे घटनास्थल पर लेकर नहीं गये। इसे सही बताया कि कि पुलिस ने उससे ड्राइवर की शिनाख्त नहीं करायी थी। वह ड्राइवरी का काम करता है, जिस मोटरसाईकिल पर वह थे, उसके नंबर उसे ध्यान नहीं है। इसे गलत बताया कि बोलेरों के नंबर उसे किसी ने बताये हो उसने बोलेरो के चालक को देखा था, उसने उसका नाम पता नहीं पूछा था, उसने तो सुना था कि उसका नाम नीरज है। इसे सही बताया कि शक्ति सिंह उसकी जाति व समाज का है। वह 2011–2020 तक गाडी पर पाटन ग्राम में रहा। वह ट्रक ट्रेलर चलाता है, वह गाडी लेकर बाहर आता–जाता रहता है। 30 सितंबर को गाडी लेकर कहीं नहीं गया था, उसने पुलिस तथा शक्ति के रिश्तेदारों को ड्राइवर के बारे में नहीं बताया था इसे गलत बताया कि वाहन के नंबर वह फाईल देखकर बता रहा है। इसे सही बताया कि न तो उन्होंने एम्बुलेंस को फोन किया तथा न ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लेकर अस्पताल ही गये। मोटरसाईकिल चालक कट से एकदम अंदर आया तथा फाटक पार करने के बाद बिलकुल सीधा आ रहा था तथा वे भी उधर से ही सीधे आ रहे थे अर्थात गेगल से मदनगंज आ रहे थे। इस सुझाव को गलत बताया कि वह स्वयं रांग साइड से आ रहा हो तथा दुर्घटना मोटरसाईकिल के चालक की गलती से हुई हो।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 7 मोहम्मद फिरोज न्यायालय के उपस्थित होकर अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि दिनांक 30.09.2016 को रात के 09.00–09.30 बजे के आस–पास जब वह और राजेन्द्र मोटरसाईकिल से गेगल से किशनगढ़ की ओर आ रहे थे तो लगभग 10–15 फीट की दूरी पर सामने से एक बोलेरो चालक बहुत तेज स्पीड में और थोड़ा आड़ूपने में चलते हुए आकर उसके आगे चल रही मोटरसाईकिल के जोर से टक्कर मार दी और फिर रोड़ के बीच में ब्रेक मारे तथा उसे रुकने की आवाज देने पर वो रुका जो गगवाना का नीरज यादव था जिसे वह पड़ोसी गांव का होने और पाटन में ट्रक वगैरह का काम होने की वजह से पहले से जानता है। मोटरसाईकिल चालक के सिर में काफी चोटें आई और पैर बैंड हो गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर खड़े लोगों में से एक बुजुर्ग गार्ड उस व्यक्ति को शक्ति सिंह नाम से पुकार रहा था जिसकी मोटरसाईकिल

स्पलेंडर प्रो नंबर आर.जे. 42 एस.सी. 2306 थे। मौके पर उक्त घायल को एंबुलेंस की मदद से किशनगढ़ इलाज के लिए ले गए जिसके एक–दो दिन बाद पता चला कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उक्त एक्सीडेंट में बोलेरो चालक की पूरी तरह से गलती थी क्योंकि उसने मोटरसाईकिल के टक्कर मारने के बाद उसकी गाड़ी की ओर भी लाया लेकिन वे बच गए।

17. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कथन करता है कि वह सातवी तक पढा–लिखा हैं वह दिन, महीने व वार में समझता है। नवरात्रि का समय था। इसे सही बताया कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के बारे में उसने उस व्यक्ति के घर वालों को नहीं बताया व न ही वो लोग उससे मिले। घटना के 10–12 दिन बाद थाने पर उसे बयान हुए थे। उसे साथ एक अन्य व्यक्ति के बयान हुए थें से सही बताया कि पुलिस ने उससे चालक की शिनाख्त नहीं करायी। वह नीरज को स्कूल के सम से जानता है। घटना के बाद थोडी देर रूका व बाद में वाहन चलाकर वाहन लेकर भाग गया। उसे आगे जो बाइक चल रही थी उसके नंबर 2306 थे। उनकी गाडी के नंबर आर.जे. 42 एस.डी. 1755 थे फिर कहा कि आर.जे. 42 एस.डी. 0575 थे। शक्ति सिंह राजेन्द्र सिंह के समाज का है। वह गाडी फाईनेंस करता है तथा राजेन्द्र सिंह उससे गाडी लेता रहता है व उसका अच्छा दोस्त है। इसे सही बताया कि उक्त घटना जो कट है, उससे पूर्व ही हो चुकी थी। उक्त घटना किशनगढ से अजमेर जाने वाली सिंगल रोड की है। इसे भी सही बताया कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उसने अस्पताल में भर्ती नहीं कराया। उसके पुलिस वालों ने थाने पर दो–तीन कागजों पर हस्ताक्षर कराये व पूछताछ भी की थी। कागजों में क्या लिखापढी की उसे जानकारी नहीं है। इसे गलत बताया कि नीरज का फाईनेंस का काम होने से तथा उसके व नीरज के मध्य जमीनी विवाद होने से वह झूठे बयान दे रहा हो। इसे गलत बताया कि घटना के वक्त वह मौके पर मौजूद नहीं है तथा राजेन्द्र सिंह उसका व शक्ति सिहं राजेन्द्र का रिश्तेदार होने से वह झूठे बयान दे रहा हो। इसे गलत बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का चालक किशनगढ से आ रहा था। बोलेरों वाहन किसका था, उसे जानकारी नहीं है।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 3 गजेन्द्र सिंह, जो कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी है भी पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं स्वयं की मुख्य

परीक्षण एवं अभियोजन के द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर इस स्तर तक तो अभियोजन कहानी का समर्थन करता है कि वक्त बयान से करीब साल भर पहले रात के करीब 09.00–09.30 बजे जब उसका छोटा भाई शक्ति सिंह अपनी मोटरसाईकिल से गगवाना से किशनगढ़ आ रहा था, उस समय किशनगढ़ प्राइड के सामने उसका एक्सीडेन्ट हो गया था, जिसमें उसकी मौत हो गयी थी। प्रदर्श पी– 4 तहरीरी रिपोर्ट पर उसके साइन है। प्रदर्श पी– 5 फर्द पंचनामा एवं प्रदर्श पी– 6 फर्द सुपुर्दगी लाश पर पर उसने साईन उसके भाई की लाश उसे जे.एल.एन. अजमेर मे सम्भलाये जाते समय किये थे। उसने प्रदर्श पी– 1 फर्द नक्शा मौका घटनास्थल पर साईन पुलिस द्वारा घटनास्थल पर मौका मुआयना की कार्यवाही के समय और प्रदर्श पी– 2 फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल पर साईन पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल लिखापढ़ी कर उसे सम्भलाते समय किये थे। परंतु स्पष्ट कहता है कि एक्सीडेंट किससे हुआ, उसे नहीं पता। उसने घटना का मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। घरवालों ने कराया था। उसके भाई की मौत का क्लेम का मुकदमा उन्होंने कर रखा है परंतु इसे गलत बताया कि वह मुकदमा नीरज अर्थात अभियुक्त के विरूद्ध कर रखा है, किसके विरूद्ध किया है, पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दे पाया तथा इस सुझाव से भी अनभिज्ञता जताई कि आर.जे. 01 यू.ए. 6592 के चालक के विरूद्ध कर रखा हो बल्कि कहता है कि उसे नहीं पता है कि उक्त वाहन से उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी रिपोर्ट उसने दर्ज करायी। रिपोर्ट पढकर सुनाये जाने पर भी उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराये जाने का कथन किया है तथा कहता है कि उसने खाली कागजों पर हस्ताक्षर किये, जो अस्पताल में कराये थे तथा उसे नहीं पता कि जिन–जिन कागजों पर हस्ताक्षर कराये, उनमें किन–किन पर लिखा–पढी हो रखी थी। प्रदर्श पी– 7 का ए से बी भाग व सी से डी भाग उसने पुलिस को नहीं दिया था। उपरोक्त गवाह से अधिक्ता अभियुक्त को प्रति–परीक्षण किये जाने का अवसर दिये जाने पर भी उनके द्वारा प्रति–परीक्षण नहीं किया गया।

19. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 2 किशोर सिंह पक्षद्रोही घोषित हुआ है एवं स्वयं की मुख्य परीक्षण एवं अभियोजन के द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर इस स्तर तक तो अभियोजन कहानी का समर्थन करता है कि प्रदर्श पी– 1 नक्शामौका घटनास्थल, प्रदर्श पी– 2 फर्द निरीक्षण क्षतिग्रस्त

मोटरसाईकिल आर.जे. 42 एस.सी. 2306, प्रदर्श पी– 3 फर्द जब्ती बोलेरो कार आर.जे. 01, यू.ए. 6592 पर उसने उसके परिवार में भतीजे शक्ति सिंह के परासिया के पास एक्सीडेन्ट होने के मामले में साईन किये थे। उसने थाने पर घटना के 5–6 दिन बाद 7–8 कागजों पर साईन किये थे तथा यह स्पष्ट बयान करता है कि पुलिस ने उसके सामने कार्यवाही नहीं की, खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराये तथा उसके सामने तब किसी अन्य व्यक्ति ने हस्ताक्षर नहीं किये थे एवं थाने पर सात–आठ कागजों पर हस्ताक्षर किये, जो घटना के पांच–छ दिन बाद किये थे। थाने पर एक ही बार गया था। नक्शा मौका, मौका स्थल पर उसके सामने बनाया गया हो तथा उसके सामने बोलेरों वाहन को जब्त किया हो इन सुझावों से स्पष्ट इनकार करता है। उपरोक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त को अवसर दिये जाने पर भी उनके द्वारा प्रति–परीक्षण नहीं किया गया।

20. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 5 अशोक यादव न्यायालय के उपस्थित होकर अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि उसने 2016 में उसके ड्राइवर नीरज द्वारा उसके वाहन बोलेरो नम्बर आर.जे. 01 यू.ए. 6592 से एक्सीडेन्ट हो जाने बाबत् बताने पर उक्त वाहन को मय ड्राइवर थाने पर पेश किया, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी– 3 एवं पुलिस द्वारा उसे दिया गया नोटिस प्रदर्श पी– 10 है। उसे नीरज ने बताया था कि एक्सीडेन्ट के समय उक्त गाड़ी को नीरज ही चला रहा था।

21. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कथन करता है कि उसके पास एक ही गाडी है, चालक बदले रहते है। कोइ एक महीने काम करता है, कोइ दो महीने काम करता है। वक्त दुर्घटना उसने नहीं देखी थी तथा उस समय उसकी गाडी कौन चालक था वह नहीं बता सकता है। इसे सही बताया कि उससे जैसा पुलिस वालों ने कहा उसने वैसा लिख दिया। उसे घटना के बारे में कोइ जानकारी नहीं है, उसे थाने पर बुलाया था व हस्ताक्षर कराये थे।

22. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षियों में से साक्षी पी.डब्ल्यू– 4 घनश्याम न्यायालय के उपस्थित होकर अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि दिनांक 30.09.2016 को 10.00 पी.एम. पर थाने पर टेलीफोन से इत्तला मिली कि किशनगढ़

प्राइड मदनगंज के पास एक मोटरसाईकिल व कार का एक्सीडेन्ट हो गया है एवं मोटरसाईकिल चालक पड़ा हुआ है, जिस पर एस.एच.ओ. हरिराम के साथ वह व कानि. सुभाष मय सरकारी जीप मौके पर पहुंचे, जहां काफी भीड़ थी तथा दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल आर.जे. 42 एस.सी. 2306 पड़ी हुई थी। मजरूब का नाम पूछने पर उसने शक्ति सिंह होना बताया, जिसे 108 एम्बुलेंस से वाइ.एन. अस्पताल भिजवाया तथा दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल को सुरक्षार्थ साईड में खड़ी करवाया तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु वाइ.एन. अस्पताल पहुंचकर एम.ओ. को मेडिकल हेतु तहरीर दी। शक्ति सिंह की हालत ज्यादा खराब होने के कारण उसे अजमेर रैफर कर दिया गया। सम्बन्धित आमद इत्तला व रवानगी रपट संख्या 1344 व वापसी रपट संख्या 1346 की नकल प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी– 8 है। दिनांक 02.10.2016 को जे.एल.एन. अस्पताल अजमेर में आहत शक्ति सिंह की मृत्यु हो जाने से गजेन्द्र सिंह द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी– 4 उसके सामने पेश की गयी। जे.एल.एन.एच चीरघर अजमेर में मृतक शक्ति सिंह की लाश का फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी– 5 की कार्यवाही कर लाश को जरिये फर्द प्रदर्श पी– 6 मृतक के परिवार को सुपर्द किया। तत्पश्चात् वापसी थाना आकर 01.15 पी.एम. पर तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी– 4 मय फर्द प्रदर्श पी– 5 व प्रदर्श पी– 6 एस.एच.ओ. हरिराम कुमावत के समक्ष पेश की, जिन्होंने मुकदमा नम्बर 247/2016 अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता में प्रकरण दर्ज कर तफ्तीश उसे दी, जिसकी चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी– 9 है। दौराने अनुसंधान उसने चश्मदीद गवाह विनोद की निशांदेही से गवाह किशोर सिंह व गजेन्द्र के सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी– 1 मौके पर बनाया तथा क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल आर.जे. 42 एस.सी. 2306 का उक्त गवाहान के सामने निरीक्षण कर फर्द निरीक्षण प्रदर्श पी– 2 तैयार किया। गवाह विनोद कुमार, योगेन्द्र सिंह उर्फ योगेश, गजेन्द्र सिंह, अशोक यादव, फिरोज, राजेन्द्र सिंह के पुलिस बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। वाहन स्वामी अशोक यादव द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन आर.जे. 01 यू.ए. 6592 को थाना मदनगंज पर उसके सामने पेश करने पर उसे दिनांक 25.10.2016 को जरिये फर्द प्रदर्श पी– 3 जब्त किया गया। वाहन स्वामी को धारा 133 एम.वी.एक्ट प्रदर्श पी 10 एवं चालक नीरज को धारा 134 एम.वी.एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी– 11 देकर जवाब प्राप्त किया। उक्त बोलेरो वाहन का

मैकेनिकल मुआयना कराकर एम.आई. रिपोर्ट व वाहन की आर.सी. व डी.एल. की फोटोप्रतियां एवं मालखाना रजिस्टर की नकल प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गयी। बाद अनुसंधान अभियुक्त नीरज यादव के विरुद्ध धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता एवं 134/187 एम.वी.एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली नतीजे हेतु सी.आई. जोगेन्द्र राठौड़ के समक्ष पेश की, जिन्होंने आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

23. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह इसे स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी– 8 का ए से बी भाग में कांट–छाट है तथा किस वाहन से दुर्घटना हुई उस वाहन का अंकन नहीं है तथा जब वे पहुंचे उससे पहले ही दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को वाई.एन. अस्पताल भेज दिया गया था तथा प्रदर्श पी– 8 राजेनामचा के साथ रिपोर्ट उसकी कलमी नही है इसे गलत बताया कि पदर्श पी– 8 रोजनामचा के साथ रपट एक साथ ही लिखी हो। बिना पत्रावली देखे नहीं बता सकता है कि कितने गवाहों के बयान लिये परंतु उसने ड्राइविंग लाइसेंस, आर.सी. व इंश्योरेंस शामिल पत्रावली किया था। दुर्घटना दिनांक से मृत्यु दिनांक तक थाने पर कोई रिपोर्ट दर्ज कराने नहीं आया तथा किसी ने थाने पर सूचना भी नहीं दी थी। वाहन के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराते समय परिवारजन के बयानों के आधार पर ही मालूम चला था। गवाहें के बयान होने के बाद से 2 जनवरी, 2017 तक बयान लिये थे। गवाहों में स्वतंत्र गवाह भी थे। परंतु उसे याद नहीं है कि चालक के बारे में वाहन मालिक के अलावा किस स्वतंत्र गवाह ने बताया फिर कहता है कि फिरोज ने बताया। इसे गलत बताया कि वहान मालिक व मृतक एक ही मोहल्ले के है परंतु इसे सही बताया कि वाहन चालक की किसी भी गवाह से शिनाख्त नहीं करायी। उसने अभियुक्त को वाहन मालिक के बयान व 133 एम.वी. एक्ट के नोटिस व चश्मदीद गवाह के आधार पर वाहन चालक को अभियुक्त बनाया। इसे गलत बताया कि परिवादीगण से मिलकर उसने वाहन चालक को झूठा फसाया हो तथा वाहन को दुर्घटना में लिप्त किया हो। दुर्घटना की इत्तला रात करीब 10.00–10.15 पर मिली जिस पर वह 10.30 पर वहां पहुंच गये थे। दुर्घटना वाहन के बारे में आर.टी.ओ. से कोइ जानकारी नहीं प्राप्त की। वाहन का मैकेनिकल मुआयना जो उसके सामने किया, उसके अनुसार वाहन में कोई नुकसान नहीं है तथा वाहन चालू हालत में है।

Authenticated document

तहरीरी रिपोर्ट पर दुर्घटना का नक्शा मौका कितनी तारीख को बनाया, बिना पत्रावली देखे नहीं बता सकता है। इसे सही बताया कि प्रदर्श पी– 10 के जी से एच भाग में वाहन के नंबर में कांटछांट हो रखी थी। तहरीर रिपोर्ट देरी से देने का कारण परिवारजन का इलाज में व्यस्त होना था।

24. न्यायालय द्वारा उपरोक्त का समग्र विवेचन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। ध्यान देने योग्य है कि निश्चत रूप से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **सैयद अहमद बनाम स्टेट आफ कर्नाटक, 2012(3) क्राईम 202 एस.सी.** व **भारभाडा भोगिन भाई हिरजी भाई बनाम स्टेट आफ गुजरात, ए.आई.आर 1983 एस.सी. 753** यह प्रतिपादित करते है कि घटना के पश्चात विचारण का समय अधिक होने तक यदि साक्षियों के साक्ष्यों में सूक्ष्म विरोधाभास आता है तो यह स्वभाविक ही है तथा इनके आधार पर दोषमुक्ति नहीं की जा सकती है परंतु न्यायालय के मत में यदि विरोधाभास गंभीर हो तो उक्त न्यायिक दृष्टांत अभियोजन को किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे।

25. अभियुक्त पक्ष द्वारा उक्त प्रस्तुत निर्णयों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि मोटर दुर्घटना के मामलों में केवल दुर्घटना का घटित होना अथवा वाहन के तेज गति से चलने का सामान्य कथन अपने आप में पर्याप्त नहीं है, जब तक कि अभियोजन यह स्पष्ट रूप से सिद्ध न कर दे कि वाहन का संचालन अभियुक्त द्वारा ही किया जा रहा था तथा वह संचालन इस प्रकार का था जो सामान्य सावधानी के मानकों का स्पष्ट उल्लंघन करता हो। विशेषतः **राजस्थान राज्य बनाम कैलाश चन्द, 2012(2) सीआर.एल.आर. (राज.) 694** तथा **भीखा राम बनाम राजस्थान राज्य, 2016(3) सीआर.एल.आर. (राज.) 1112** के प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया है कि यदि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास हों या अभियुक्त की पहचान संदेह से परे सिद्ध न हो सके, तो ऐसे मामलों में केवल अनुमान अथवा संभावना के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। इसी प्रकार **राजस्थान राज्य बनाम लीलू खान, 2016(3) सीआर.एल.आर. (राज.) 1226** तथा **भाग चन्द बनाम राजस्थान राज्य, 2013(4) सीआर.एल.आर. (राज.) 2032**

के निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब अभियोजन के साक्ष्य से दुर्घटना के वास्तविक कारण अथवा चालक की पहचान के संबंध में उचित संदेह उत्पन्न होता हो, तब आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतानुसार अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान किया जाना आवश्यक है।

26. उक्त न्यायिक सिद्धांतों को वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू करने पर यह परिलक्षित होता है कि अभियोजन के मुख्य चक्षुदर्शी गवाह पी.डब्ल्यू.–1 विनोद कुमार एवं पी.डब्ल्यू.–8 योगेन्द्र सिंह को पक्षद्रोही घोषित करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने बयानों में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया तथा घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने से भी इन्कार किया। इन गवाहों ने अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया कि उनसे खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए, जिससे नक्शा मौका (प्रदर्श पी–1) एवं फर्द जब्ती (प्रदर्श पी–2 व पी–3) जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की विश्वसनीयता अत्यंत संदिग्ध हो जाती है। स्वयं परिवादी पी.डब्ल्यू.–3 गजेन्द्र सिंह ने भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया तथा यहां तक कहा कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी और न ही उन्हें दुर्घटना करने वाले वाहन एवं चालक की जानकारी है।

27. यद्यपि पी.डब्ल्यू.–6 राजेन्द्र सिंह एवं पी.डब्ल्यू.–7 मोहम्मद फिरोज ने अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य दिया, परंतु उनके बयान घटना के लगभग एक माह बाद दर्ज किए गए, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगता है। दोनों साक्षियों ने बयान किया है कि बोलेरो अत्यधिक तेज गति में थी और उसने मोटरसाईकिल को जोरदार टक्कर मारी। इसके विपरीत, यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट और अनुसंधान अधिकारी (पी.डब्ल्यू– 4) के कथन के अनुसार, बोलेरो पर **कोई खरोंच या क्षति नहीं** पाई गई और वाहन चालू हालत में था। एक घातक दुर्घटना में टक्कर मारने वाले वाहन पर कोई निशान न होना अभियोजन की कहानी को संदिग्ध बनाता है। हालांकि साक्षियों ने न्यायालय में अभियुक्त नीरज यादव की पहचान की है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई **शिनाख्तगी परेड** आयोजित नहीं की गई थी। रात के समय हुई दुर्घटना में, बिना पूर्व शिनाख्तगी के केवल न्यायालय में की गई पहचान को कानूनन कमजोर साक्ष्य माना जाता है। साक्षी पी.डब्ल्यू– 6 और पी.डब्ल्यू– 7 ने स्वयं को चक्षुदर्शी बताया है, फिर भी उन्होंने न तो एम्बुलेंस को फोन किया और न ही घायल को अस्पताल पहुंचाया। पी.डब्ल्यू– 6 मृतक

की ही जाति/समाज से है, जबकि पी.डब्ल्यू– 7 के संबंध में बचाव पक्ष ने पूर्व विवाद होने का सुझाव दिया है। साथ ही, पी.डब्ल्यू.–7 फिरोज ने स्वयं स्वीकार किया कि उनका पी.डब्ल्यू.–6 राजेन्द्र सिंह से घनिष्ठ संबंध है तथा मृतक उन्हीं के समाज का था, अतः इन्हें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं माना जा सकता। गवाह पी.डब्ल्यू– 6 ने तो अपने मुख्य परीक्षण में तो घटना की दिनांक को ही 30 सिंतबर के बजाय 23 सितंबर की होना बताया है। प्रस्तुत प्रकरण में कथित चक्षुदर्शी साक्षी **पी.डब्ल्यू–6 व पी.डब्ल्यू–7** की विश्वसनीयता इस तथ्य से गंभीर रूप से खंडित होती है कि **प्रथम सूचना रिपोर्ट** में इनका नाम बतौर चक्षुदर्शी अंकित नहीं है, जबकि उक्त रिपोर्ट स्वयं भी विलंब से दर्ज कराई गई है। इन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास एवं उनके कथनों को दर्ज करने में हुई 10 से 30 दिनों की देरी यह संकेत देती है कि ये साक्षी ''बाद में तैयार किए गए'' हो सकते हैं। इन परिस्थितियों में, केवल इनके बयानों के आधार पर, जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य के विपरीत हैं, अभियुक्त को दोषसिद्ध करना न्यायोचित नहीं होगा।

28. वाहन स्वामी पी.डब्ल्यू.–5 अशोक यादव ने भी प्रति–परीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया कि उन्होंने दुर्घटना नहीं देखी और पुलिस के कहने पर बयान दर्ज कराए। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.–4 घनश्याम की साक्ष्य से भी यह स्पष्ट होता है कि प्रकरण में रोजनामचा (प्रदर्श पी–8) में कांट–छांट होना तथा किसी स्वतंत्र गवाह से अभियुक्त की शिनाख्त न कराना जैसी कई त्रुटियाँ रहीं।

29. परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त नीरज यादव द्वारा वाहन को तेज गति, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाने तथा उससे मानव जीवन को संकटापन्न करने का आरोप स्थापित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त नीरज यादव को उपरोक्त समस्त विवेचन एवं सुसंगत विधि के आलोक में संदेह का लाभ प्रदान किया जाना उचित है।

30. उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त नीरज यादव पुत्र श्री भंवर लाल, निवासी– गगवाना, थाना– गेगल, जिला– अजमेर, आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304 ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 मोटरयान अधिनियम के अपराध में संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किए जाने योग्य पाया जाता है।

-- आदेश --

31. अतः अभियुक्त नीरज यादव पुत्र श्री भंवर लाल, निवासी– गगवाना, थाना– गेगल, जिला– अजमेर, को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 मोटरयान अधिनियम में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

32. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिया गया है, जो सुपुर्दगीदार द्वारा व्ययन किया जावे। सुपुर्दगीनामा व जमानत नामा बाद मियाद अपील निरस्त समझे जावें।

33. अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार व्ययन किया जावें।

34. अभियुक्त की नियमित उपस्थिति हेतु प्रस्तुत बंधपत्र एवं जमानतपत्र उन्मोचित किए जाते है।

35. अभियुक्त की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त समझे जावे।

36. उक्त निर्णय की एक प्रति अविलंब ई–कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या 1 किशनगढ़, अजमेर

37. निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या 1 किशनगढ़, अजमेर

Authenticated document